अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 1/2015- स्वच्छ ऊर्जा उपकर

सा.का.नि. (अ.) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 की उपधारा (7) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 83 के अधीन स्वच्छ उर्जा उपकर को उग्रहणीय सभी मालों पर, उक्त वित्त अधिनियम, 2010 की दसवीं अनुसूची के अधीन उस पर उग्रहणीय उतने उपकर से, जितना 200 रुपये प्रति टन की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट प्रदान करती है ।

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार